

प्रेस नोट दिनांक- 24.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चौरही ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना मानिकपुर के निरीक्षक रामवृक्ष यादव मय हमराह उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, म0का0 शबनम चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत 65(1), 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अमन सरोज उर्फ किल्लन सरोज पुत्र – सोनू सरोज उर्फ लम्बू सरोज निवासी – रामपुर गड़ौली कमण्डीचक थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र – लगभग 18 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौरही ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अमन सरोज उर्फ किल्लन सरोज पुत्र – सोनू सरोज उर्फ लम्बू सरोज निवासी – रामपुर गड़ौली कमण्डीचक थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र – लगभग 18 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक रामवृक्ष यादव मय हमराह उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, म0का0 शबनम चौहान थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2025 को ग्राम-पूरे सुखदेव, कटरा, गुलाबसिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ में वादी के बेटे व परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी के बेटे को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0-210/25 धारा 191 (2), 191(3), 190,115 (2),352,351 (3),109 (1), 110, 333 बीएनएस बनाम 09 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री सुभाष कुमार के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस टीम उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हमराह का० दिनेश, का० मनीष द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-210/25 धारा 191 (2), 191(3), 190,115 (2),352,351 (3),109 (1), 110, 333 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों 1. अनूप कुमार यादव पुत्र रामकृपाल यादव उम्र करीब 40 वर्ष 2. सुनील उर्फ नीरज यादव पुत्र विजय कुमार यादव उम्र करीब 34 वर्ष निवासी गण बक्सी का पुरवा पूरे सुखदेव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रांतर्गत लेहरा नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अनूप कुमार यादव पुत्र रामकृपाल यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी गण बक्सी का पुरवा पूरे सुखदेव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़
2. सुनील उर्फ नीरज यादव पुत्र विजय कुमार यादव उम्र करीब 34 वर्ष निवासी बक्सी का पुरवा पूरे सुखदेव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह का० दिनेश,का० मनीष थाना जेठवारा पुलिस टीम जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर,जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को छेमर सरैया मोड के पास से गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण व थाना लीलापुर के उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह म०का० कल्पना शर्मा, का० अजय यादव, हे का० अमित कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 376/504/506 भावि व 51/6 पाक्सो एक्ट थाना लीलापुर प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त शिवा सिंह उर्फ सौमिल पुत्र नारेन्द्र कुमार सिंह निवासी उमराव का पुरवा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत छेमर सरैया मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवा सिंह उर्फ सौमिल पुत्र नारेन्द्र कुमार सिंह निवासी उमराव का पुरवा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह म०का० कल्पना शर्मा, का० अजय यादव, हे का० अमित कुमार यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना – बाघराय जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही— लाठी-डण्डा, सरिया, कुल्हाड़ी व नाजायज तमंचा सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 नाबालिक बाल अपचारी हिरासत में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना बाघराय पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लाठी-डण्डा, सरिया, कुल्हाड़ी एवं नाजायज तमंचा सहित 07 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा 01 नाबालिक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वादी निवासी रुद्र का पुरवा थाना बाघराय की तहरीर पर मारपीट व हमला प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें घायल वादी की पुत्री की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस की तरमीम की गई है।

प्रतापगढ़।

वादी निवासी रुद्र का पुरवा थाना बाघराय द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 19.10.2025 को रात्रि गांव के ही कुंवारे सरोज पुत्र भगवत सरोज द्वारा शराब के नशे में वादी के भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त प्रकरण में अगले दिन दिनांक 20.10.2025 को रात्रि को आरोपीगण हरीलाल, अंकित, प्रदीप, बलदेव, शिवा, अरुण, धर्मेन्द्र एवं अन्य सहयोगियों ने कट्टा, कुल्हाड़ी, सरिया व लाठी-डण्डों से लैस होकर वादी के घर पर हमला कर दिया। हमले में वादी, उसकी पुत्री पूजा उम्र 18 वर्ष), भतीजा बाले व भाई की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी बाघराय लाया गया, जहाँ से उसकी पुत्री व भतीजा बाले को गम्भीरावस्था में स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर किया गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 74/333/191(2)/191(3)/ 190/115(2)/352/351(3)/288/109(1) बीएनएस बनाम 08 नामजद व 04 अज्ञात नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में गंभीर रूप से घायल वादी की पुत्री की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिससे उपरोक्त मुकदमा में धारा 103 बीएनएस की तरमीम की गई

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 अमित द्विवेदी, उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 गौरव, का0 परविन्द कुमार, का0 सचिन ठैनुआ, का0 अंशू, का0 रविन्द्र यादव, म0का0 साधना सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों व तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 74/333/191(2)/191(3)/190/115(2)/ 352/351(3)/288/ 103(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं 01 नाबालिक बाल अपचारी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 अदद लाठी बांस, 01 अदद डण्डा, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लोहे की सरिया, 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया कि दिनांक 20.10.2025 को हुए मारपीट प्रकरण में उपरोक्त बरामद लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी व सरिया का उपयोग किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. रामकुमार उर्फ कुँवारे पुत्र भगवत सरोज,
2. हरीलाल पुत्र भगवत,
3. प्रदीप उर्फ राजन पुत्र रामकुमार,
4. बलदेव उर्फ शुभम पुत्र रामकुमार,
5. शिवा उर्फ सूरज पुत्र रामकुमार,
6. अरुण कुमार पुत्र जियालाल,
7. धर्मेन्द्र सरोज पुत्र भूल्लर,
8. विधि का उल्लंघन करने वाला बाल अपचारी निवासीगण ग्राम रुद्र का पुरवा, वेधनगोपालपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी विवरण –

- 04 अदद लाठी (कुछ पर रक्त के धब्बे लगे)
- 01 अदद डण्डा बांस
- 01 अदद कुल्हाड़ी लकड़ी की बेट सहित
- 01 अदद सरिया लोहे की (SIGMA GRIP LOCK 550XD अंकित)
- 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम – थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 देवी दयाल वर्मा, उ0नि0 अमित द्विवेदी, उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 गौरव, का0 परविन्द कुमार, का0 सचिन ठैनुआ, का0 अंशू, का0 रविन्द्र यादव, म0का0 साधना सिंह मय चालक हे0का0 राजाराम सिंह।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का० बाबूलाल यादव व म0का0 कल्पना शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरानमा० न्यायालय ए0एस0जे0एस टीसी जनपद चित्रकूट के द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट सम्बन्धित केश नं० 1658/20 मु०अ०स० 373/04 धारा

323/325/504/506 भादवि थाना लालगंज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त जीतलाल कोरी पुत्र स्व० गणेश कोरी निवासी ग्राम महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत लीलापुर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. जीतलाल कोरी पुत्र स्व० गणेश कोरी निवासी ग्राम महेशपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह का० बाबूलाल यादव व म०का० कल्पना शर्मा थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस ने दहेज हत्या प्रकरण में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना उदयपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कुम्भीआइमा बाजार मस्जिद के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी की बहन को उसके पति व परिजनों ने मिलकर हत्या करने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु०अ०स० 136/2025 धारा 80/85/61 (2) BNS 3/4 डीपी एक्ट बनाम 04 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ०नि० संजय यादव मय हमराह HC वहाबुद्दीन द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 136/2025 धारा 80/85/61 (2) BNS 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त साबिर अली सुत इमाम अली निवासी ग्राम कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र उदयपुर के कुम्भीआइमा बाजार मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. साबिर अली सुत इमाम अली निवासी ग्राम कुम्भी आइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 संजय यादव मय हमराह HC वहाबुद्दीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा तमन्चे से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज तमचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025 को ग्राम गयासपुर (पूरे दूलम) थाना कुण्डा जिला प्रतापगढ़ में वादी के बेटे व बेटे के ऊपर आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से फायर कर देने व गोली लगने से वादी का बेटा व बेटे घायल हो जाने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 289/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/352/351 (3)/109/324 (5) बीएनएस बनाम 05 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस टीम उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का0 रंजीत प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 289/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/352/351 (3)/109/324 (5)बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों 1. ओमप्रकाश पुत्र रामबहादुर नि० पूरे दुलम गयासपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 2- प्रवीण कुमार उर्फ बच्चा सुत ओमप्रकाश निवासी ग्राम गयासपुर (पूरे दूलम)

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत एनएचआई प्लॉट जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ बच्चा की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज तंमचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ओमप्रकाश पुत्र रामबहादुर नि० पूरे दुलम गयासपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
2. प्रवीण कुमार उर्फ बच्चा सुत ओमप्रकाश निवासी ग्राम गयासपुर (पूरे दूलम) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज तंमचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-

उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का० रंजीत प्रजापति थाना कुण्डा पुलिस टीम जनपद प्रतापगढ़।